(B) उच्च शिक्षा का निजीकरण
(Privatization of Higher Education)

निजीकरण का अर्थ (Meaning of Privatization)

'Privatization' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1960 में **पीटर एफ० ड्रुकर** ने अपनी पुस्तक 'The Age of Discontinuity' में किया। इसके दस वर्ष बाद मारग्रेट थैचर इंग्लैंड की प्रधानमंत्री बनीं और उन्होंने उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में इस विचार को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। इसके बाद धीरे-धीरे अन्य देशों में निजीकरण को स्वीकार करके साकार रूप प्रदान किया गया। परिभाषा के रूप में जिन क्रियाओं या उद्यमों को पूर्व में सरकार द्वारा संचालित या प्रबन्धित किया जा रहा था, और अब उनको किसी निजी कंपनी या उद्यमी या संस्था को संचालित या प्रबन्धित करने के लिये सौंप दिया जाता है, तो इस हस्तान्तरण की प्रक्रिया को निजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। सामान्य रूप में निजीकरण का आशय है—**स्वामित्व में परिवर्तन अर्थात् स्वामित्व के स्थान पर निजी व्यक्ति या कंपनी या व्यवसायी या उद्यमी।**

टी० थोमस (T. Thomas) के शब्दों में—*"हमें अपने निजी क्षेत्र में अधिक विश्वास रखना चाहिए और इसे पूरे विश्व में निजी जगत के साथ स्वतंत्रता से सहयोग की अनुमति देनी चाहिए। हमें विश्व के लिए दरवाजे बन्द नहीं करने चाहिए, ऐसा न हो कि विश्व हमारे लिए दरवाजे बंद कर दे। हमारे देश में व्यावसायिक, तकनीकी तथा प्रबन्धन योग्यताएँ अत्यधिक मात्रा में हैं, जिससे कि हम स्वतंत्रता से विश्वासपूर्वक निजी क्षेत्र के सहयोग को बढ़ा सकते हैं।"*

साधारण बोलचाल की भाषा में निजीकरण से अभिप्राय निजी क्षेत्र के कार्य से है या उत्पादक क्रिया के किसी भी क्षेत्र में निजी उद्यम से है। इसकी विशेषता निजी हाथों में सत्ता तथा प्रबन्धन और व्यक्तिगत अभिप्रेरणा है। सामान्यतः यह शब्द उस प्रक्रिया से सम्बन्ध रखता है जो किसी देश में आर्थिक प्रक्रियाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को कम करती है। साधारण शब्दों में निजीकरण का अर्थ है—*"उद्यमों का स्वामित्व सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र या व्यक्ति या निजी कम्पनियों में बदल जाना। इस स्वामित्व का हस्तांतरण पूर्ण सार्वजनिक इकाइयों अथवा उसके एक भाग के लिए हो सकता है।"*

Scanned by TapScanner

निजीकरण एवं उच्च शिक्षा
(Privatisation and Higher Education)

आज पूरी दुनिया में ज्ञान का विस्तार तेजी से हो रहा है। आज अन्य क्षेत्रों में निजीकरण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए यह माना जा रहा है कि इस प्रयोग से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में वृद्धि होगी। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर आदि क्षेत्रों में तकनीकी विकास के लिए एक सुशिक्षित एवं प्रभावी रूप से प्रशिक्षित मानव-संसाधन की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति मात्र सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं से संभव नहीं। महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के सामने वित्तीय कठिनाइयाँ अक्सर बनी रहती हैं, निजीकरण को ही इसका एकमात्र निदान बताया व समझा जा रहा है। निजीकरण का लक्ष्य ऐसे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं व्यावसायिक संस्थाओं की स्थापना करना होगा जो योग्य शिक्षकों को बेहतर वेतनमान पर भर्ती करेंगे। इस प्रक्रिया में उन कॉरपोरेट क्षेत्रों से भी अधिक सहयोग की अपेक्षा की जा सकती है जो इस प्रकार की संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त लोगों की सेवाएँ प्राप्त करते हैं। निजी क्षेत्र की इन गतिविधियों में धार्मिक संस्थाएँ एवं न्यास भी संलग्न हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार का सरकारी अनुदान नहीं मिलता; परन्तु उच्च-शिक्षा के क्षेत्र में कई संस्थाएँ निजी क्षेत्रों द्वारा स्थापित हैं, जिनको पर्याप्त सरकारी और गैर-सरकारी अनुदान मिलते हैं। उच्च-शिक्षा के निजीकरण के संदर्भ में शिक्षकों के लिए गठित वेतन आयोग ने बड़ी भूमिका अदा की है। इसके माध्यम से शिक्षकों के बढ़ते वेतनमान से मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आर्थिक बोझ को बढ़ा दिया है। उच्च-शिक्षा संस्थानों में एकीकृत छात्रों की संख्या में 24% की दर से होने वाली वृद्धि ने भी निजी पूँजी निवेश तथा शिक्षा के निजीकरण को प्रोत्साहित किया है।

निजीकरण की समस्याएँ
(Problems of Privatisation)

उच्च-शिक्षा में निजीकरण के कारण होने वाली मुख्य समस्याएँ अग्रलिखित हैं—

Scanned by TapScanner

— निजी संस्थाएँ कैपीटेशन फीस वसूल करती है, इनके वार्षिक शुल्क भी बहुत अधिक हैं, परिणामतः उच्च शिक्षा अति महँगी होती जा रही है, वह आर्थिक दृष्टि से मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों की पहुँच से बाहर है।

— अन्धाधुन्ध मान्यता देने से शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है।

— निजी संस्थाओं को स्थापित करने वाली संस्थाओं की नियमावली में उनका उद्देश्य भले ही शिक्षा का प्रसार करना लिखा हो, परन्तु इन संस्थाओं के सदस्यों का मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना होता है।

— इन संस्थाओं में साधन सुविधा बहुत होते हुए भी उत्पाद की मार्केट वैल्यू कम है।

— शिक्षा में गुणवत्ता की कमी है।

— छात्र-छात्राओं का शैक्षिक व आर्थिक-शोषण अधिक होता है।

— योग्य शिक्षकों को पूरा वेतनमान न देकर कम वेतन में काम करने वाले शिक्षकों को रखा जाता है।

— सरकार ने शिक्षा के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित तो किया है, लेकिन प्रबंधन की अक्षमता और मनमानी पर अंकुश नहीं लगाया है। निजी क्षेत्र के कई मेडिकल कॉलेजों की जाँच करने पर पाया गया कि वहाँ सीटी स्कैन, आक्सीजन, वेन्टीलेटर, कॉर्डियक मॉनीटर जैसे आधारभूत उपकरण तक नहीं हैं।

— निजी विश्वविद्यालयों को स्वीकृति देते समय केन्द्र और राज्य सरकारें अपने राजनीतिक स्वार्थों और दलीय राजनीति को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति से निजात नहीं पा सकी हैं।

— निजी संस्थाएँ सभी नियम, उपनियम, मानदण्डों और शर्तों की अनदेखी करके व्यक्तिगत हित साधन में संलग्न रहती हैं।

Scanned by TapScanner

निजीकरण के शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव
(Positive Impact of Privatisation on Education)

(1) शिक्षा के प्रसार में सहायक।
(2) शिक्षा की व्यवस्था में सरकार को सहयोग।
(3) योग्य व्यक्तियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के अवसर।
(4) सभी बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक।
(5) शिक्षा संस्थाओं में उच्च कोटि की अधिसंरचना (Infrastructure) की व्यवस्था।
(6) सरकारी शिक्षा संस्थाओं की अपेक्षा व्यवस्था, प्रबन्धन और प्रशासन में अधिक कुशलता।
(7) शिक्षा के उच्च स्तर की संभावना।
(8) समाज के सम्पन्न, धनी, दानी और समाज हित के लिए कार्य करने वाले वर्ग की सहायता से शिक्षा के प्रसार और विकास में सहायक।
(9) किसी सीमा तक बेरोजगारी दूर करने में सहायक।
(10) छात्रों को अधिकाधिक सुविधाओं की उपलब्धता।
(11) सरकारी हस्तक्षेप और लालफीताशाही से मुक्ति।

निजीकरण के शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव
(Negative Impact of Privatisation on Education)

(1) शिक्षा का अत्यधिक महंगी होना।
(2) निर्धन और निम्न मध्यम वर्ग के बालकों की पहुँच से शिक्षा का दूर होना।
(3) मात्र लाभ प्राप्ति के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना।
(4) शिक्षा में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना।
(5) शिक्षकों का शोषण।
(6) शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने से शिक्षा का वाणिज्यकरण होना।
(7) एकाधिकारी प्रबन्ध के कारण शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में तनाव और भय का पैदा होना।
(8) शिक्षा के स्तर में गिरावट आना।
(9) इन संस्थाओं से निकलने वाले उत्पाद की वैल्यू का कम होना।
(10) अन्धाधुंध शिक्षा संस्थाओं के खुलने से बेरोजगारी का बढ़ना।

प्रभावी निजीकरण के लिए सुझाव
(Suggestions for Effective Privatization)

शिक्षा के क्षेत्र में काफी पूँजी निवेश की आवश्यकता है और निवेश की कमी के कारण शिक्षा के प्रसार, गुणवत्ता और पहुँच के विषय में अनेक कठिनाइयाँ हैं। अतएव निजीकरण की कमियों, दोषों और सीमाओं के होते हुए भी वर्तमान परिस्थितियों में इसका कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, इसको प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। कुछ धनलोलुप, पदलोलुप, स्वार्थी, जन

Scanned by TapScanner

कल्याण विरोधी और भ्रष्टाचारी लोगों की वजह से निजीकरण की व्यवस्था में जो दोष पैदा हुए हैं, उनको दूर करने और नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इस संबंध में कपितय सुझाव अग्र प्रकार हैं—

(1) शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के नियम, मानदण्ड, शर्तें और प्रक्रिया कठोर होनी चाहिए।

(2) मान्यता प्रदान करते समय नियमों, शर्तों मानदण्डों और प्रक्रिया का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। मान्यता प्रदान करने से सम्बन्धित जो भी व्यक्ति इनका अनुपालन न करें, उनको दण्डित किया जाना चाहिए।

(3) निरीक्षक मण्डल में योग्य, विशेषज्ञ, अनुभवी, निःस्वार्थी और ईमानदार लोगों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। गलत ढंग से मान्यता देने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

(4) निजी शिक्षा संस्थाओं पर सरकार का कठोर नियंत्रण होना चाहिए जिससे शिक्षा संस्थाओं के प्रबन्धन को गलत कार्य करने का साहस ही न हो। गलत और नियम विरुद्ध कार्य करने वाली शिक्षा संस्थाओं की मान्यता अविलम्ब समाप्त की जानी चाहिए।

(5) सरकार को संस्थाओं के कुल व्यय का आकलन करके उस आधार पर छात्र-छात्राओं से लिए जाने वाले शुल्क का निर्धारण करना चाहिए।

(6) कैपीटेशन, डोनेशन और अन्य किसी भी प्रकार की फीस लेने पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। जो शिक्षा संस्थाएँ इस प्रकार की अनाधिकृत फीस लेती हों, उनको दण्डित किया जाना चाहिए।

(7) निजी शिक्षा संस्थाओं को सामाजिक दायित्व निभाते हुए कम से कम 25 प्रतिशत गरीब प्रतिभाशाली छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।

(8) शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए शिक्षा संस्थाओं में सभी संसाधन और सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

(9) शिक्षा संस्थाओं में उत्तम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य वाले, उच्च बुद्धिलब्धि वाले, अध्ययनशील, प्रगतिशील, क्षमतावान, परिश्रमी, आत्मविश्वासी, गम्भीर और विनोदप्रिय तथा छात्र हितों के प्रति समर्पित शिक्षकों को नियुक्त किया जाना चाहिए। शिक्षकों की संख्या नियमों और मानदण्डों के अनुसार ही होनी चाहिए।

(10) सरकार को निजी शिक्षा संस्थाओं में अध्ययनरत मेधावी एवं निर्धन छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देनी चाहिए।

(11) निजी संस्थाओं द्वारा शिक्षकों और अभिभावकों का आर्थिक शोषण नहीं किया जाना चाहिए।

(12) शिक्षा का धर्मार्थ स्वरूप विकसित किया जाना चाहिए।

(13) शिक्षा संस्थाओं का वातावरण लोकतांत्रिक होना चाहिए।

(14) निजी शिक्षा संस्थाओं को भ्रष्टाचार से पूर्णतः मुक्त किया जाना चाहिए।

(15) कार्य संस्कृति पर बल दिया जाना चाहिए।

(16) जहाँ अनुशासनहीन और नियमों व शर्तों के अनुसार कार्य न करने वाली शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध सरकार को कठोर कार्यवाही करनी चाहिए वहीं अच्छी शिक्षा संस्थाओं को सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिलना चाहिए और उनके विकास के लिए हर तरह की सहायता प्रदान करनी चाहिए।

(17) सरकार को अपनी शिक्षण योजनाओं में निजी संस्थाओं की हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए।

(18) शिक्षा के क्षेत्र में राज्य औष्र केन्द्र सरकार, दोनों को बजट बढ़ाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में निवेश नहीं होगा तो देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा।

(19) उद्योगों को भी शिखा को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। निजी उद्योगों को चाहिए कि वे स्कूल, कॉलेज गोद लें, उनका विकास करें। बाद में तो इसका लाभ उद्योगों को ही होगा। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कम्पनियाँ अपनी जिम्मेदारी बढ़ायें।

Scanned by TapScanner